

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

नि.प्र.अ.(मू.प.) संख्या 16/2008

निर्णय सुरक्षित : 14 जुलाई 2008

उद्घोषित : 8 अगस्त, 2008

श्रीमती संगीता गर्ग अपीलार्थी

द्वारा : श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता

बनाम

श्री दीपक बंसल और अन्यप्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री राजेश गुप्ता, अधिवक्ता

कोरम:

माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?
2. संवाददाता को संदर्भित किया जाना है या नहीं?
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

न्या. मनमोहन सिंह

1. यह अपील अपीलार्थी (इसके बाद वादी के रूप में संदर्भित) द्वारा सि.वा.(मू.प.) सं. 558/2006 में अं.आ. सं. 7904/2006 में पारित आदेश दिनांकित 19 जुलाई, 2007, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थीगण (इसके बाद प्रतिवादीगण के रूप में संदर्भित) द्वारा सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत दाखिल आवेदन, जिसमें वाद हेतुक को प्रकट न करने के आधार पर वाद पत्र को खारिज करने की माँग की गई थी, को मंजूरी दी गई थी, के विरुद्ध दायर की गई है।
2. विचारण न्यायालय में वादी का मामला यह था कि वादी ने एच.आई.जी./ग्राउंड फ्लोर फ्लैट नंबर 1, आकाश कुंज अपार्टमेंट, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली (जिसे आगे "वाद संपत्ति" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के संबंध में दिनांकित 19 दिसंबर 2004 को बिक्री के लिए किए गए समझौते के विनिर्दिष्ट पालन के एक डिक्री की राहत की माँग करते हुए एक वाद दायर किया था।
3. वाद संपत्ति के लिए पक्षकारों के बीच 27,75000/- रुपये की बिक्री प्रतिफल पर सहमति हुई थी।
4. वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को अग्रिम राशि के रूप में 4 लाख रुपये, 2 लाख रुपये नकद और 2 लाख रुपये पंजाब नेशनल

बैंक, अशोक विहार शाखा, दिल्ली के नाम से दिनांकित 19 दिसंबर 2004 को जारी चेक संख्या 458943 के माध्यम से श्री दीपक बंसल को रसीद-सह-समझौता के आधार पर दिए, जिस पर दिनांकित 19 दिसंबर 2004 की तारीख अंकित है और विचारण न्यायालय में अभिलेखित है।

5. वादपत्र में विवरणित था कि प्रतिवादीगण ने वादी के पति को सूचित किया कि संपत्ति आई.सी.आई.सी.आई.होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के पास बंधक रखी गई है और वादी से ठीक उसी बैंक से ऋण लेने का अनुरोध किया ताकि बंधक राशि को समायोजित किया जा सके और कमीशन के पैसे बचाने के लिए वादी द्वारा सीधे बैंक से हक विलेख प्राप्त किया जा सके।
6. वादी ने दिनांक 26 दिसम्बर 2004 को उक्त बैंक में ऋण के लिए आवेदन किया था, जो दिनांक 7 जनवरी 2005 को वादी के पक्ष में 7,36,000/- रुपये मंजूर हुआ तथा दोनों पक्षकारों के बीच बिक्री विलेख दिनांक 20 जनवरी 2005 तक निष्पादित किया जाना था।
7. वादी ने दिनांक 10 जनवरी 2005 को 1,23,000/- रुपये मूल्य का स्टाम्प-पत्र खरीदा जो वाद संपत्ति का तय मूल्य था।

8. वादपत्र में दावा किया गया है कि प्रतिवादीगण बिक्री विलेख के निष्पादन से पहले कुछ राशि के लिए जोर दे रहे थे, इसलिए दिनांक 12 जनवरी 2005 को दो चेक यानी चेक संख्या 458946 दिनांकित 12 जनवरी 2005 का, 11,25,000/- रुपये और चेक संख्या 458947 दिनांकित 12 जनवरी 2005 का 2,50,000/- रुपये के, दोनों पंजाब नेशनल बैंक, अशोक विहार, दिल्ली के नाम से, प्रतिवादी संख्या 1 को दिए गए, जो कुल बिक्री मूल्य 27,75,000/- रुपये के लिए आंशिक भुगतान था। वादी ने प्रतिवादीगण से मूल हक विलेख दस्तावेजों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को आवश्यक सहमति पत्र देने का भी अनुरोध किया है। प्रतिवादीगण से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे उक्त बैंक द्वारा अपेक्षित विक्रय के लिए आवश्यक करार निष्पादित करें, लेकिन प्रतिवादीगण ने आवश्यक कार्य नहीं किया तथा इससे बचने का प्रयास किया, प्रतिवादीगण द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि प्रतिवादीगण वाद संपत्ति के बदले में उनके द्वारा लिए गए ऋण को चुका देंगे।
9. वादी का मामला यह है कि उपरोक्त के मद्देनजर वादी प्रतिवादीगण के आचरण के बारे में आशंकित हो गया, जैसा कि

इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा सलाह के अनुसार वादी द्वारा बैंक से ली गई 7,36,000/- रुपये की राशि को समायोजित करने के बाद भी, अभी भी प्रतिवादीगण द्वारा बैंक को 13,14,000/- रुपये की राशि देय थी क्योंकि प्रतिवादीगण से देय ऋण राशि 20,50,000/- रुपये थी। वादी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, उसने दिनांक 14 जनवरी 2005 को प्रतिवादीगण को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक पंजीकृत पत्र भेजा। वादी के पति ने प्रतिवादीगण को उनके दायित्व की याद दिलाने के लिए दिनांकित 15 जनवरी 2005 को प्रतिवादी संख्या 1 को बुलाया लेकिन प्रतिवादीगण ने सहयोग नहीं किया। वादी ने आई सीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को दिनांकित 15 जनवरी 2005 को एक पत्र भी लिखा जिसमें सूचित किया गया कि बैंक की सभी आवश्यकताओं को प्रतिवादीगण को सूचित किया गया था और उनसे पूरी ऋण राशि को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था ताकि सौदा समय के अंदर पूरा किया जा सके और बैंक से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे बैंक के पक्ष में स्वीकृत ऋण राशि का वितरण करें।

10. दिनांक 20 जनवरी 2005 को वादी ने 13,25,000/- रुपये (अदायगी आदेश संख्या 664711 दिनांकित 20 जनवरी 2005)

और दूसरा 5,25,000/- रुपये (अदायगी आदेश संख्या 66710 दिनांकित 20 जनवरी 2005) के लिए दो भुगतान आदेश भी तैयार किए और प्रतिवादी संख्या 1 को उसके नाम पर 18,50,000/- रुपये के दो भुगतान आदेश तैयार करने के बारे में सूचित किया। प्रतिवादीगण को वादी द्वारा जारी किए गए पहले के तीन चेकों के भुगतान को रोकने की सूचना दी गई थी। वादी के पति ने प्रॉपर्टी डीलर से भी संपर्क किया और आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के होम फाइनेंस काउंसलर ने कंपनी लिमिटेड और उनसे अनुरोध किया कि वे वादी के पक्ष में बिक्री विलेख के निष्पादन के समय अपने प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त करें और दिनांक 20 जनवरी 2005 को वादी के पास संपूर्ण बिक्री प्रतिफल तैयार था।

11. उपरोक्त के बावजूद, प्रतिवादीगण आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने और उन्हें वादी के पक्ष में बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। वही प्रतिवादी संख्या 1 से भी सुबह वादी के पति द्वारा उसके मोबाइल नंबर 9810107101 पर संपर्क किया गया था, लेकिन दोपहर 1 बजे तक कोई नहीं आया। जब दूसरी बार संपर्क किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने बहाना दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 सुबह

से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और इसलिए, समय के लिए अनुरोध किया।

12. वादी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करने और पंजीकृत करने के लिए प्रतिवादीगण को दिनांकित 17 अप्रैल 2005 को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था जिसे वापस अवितरित के रूप में प्राप्त किया गया था। प्रतिवादी के उक्त आचरण के कारण और कानूनी सलाह के आधार पर वादी द्वारा दिनांकित 16 मई 2005 को पुलिस स्टेशन रोहिणी में प्रतिवादी संख्या 1 और उसके भाई श्री अतुल बंसल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी क्योंकि सौदा उसकी उपस्थिति में तय किया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ शिकायत 62 साल से अधिक की बूढ़ी महिला होने के नाते मानवीय आधार पर दर्ज नहीं की गई थी।

13. लेन-देन को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा दिखाने की बजाय, प्रतिवादी संख्या 1 ने एक जवाबी कार्यवाही के रूप में दिनांकित 13 जून 2005 को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वादी द्वारा जारी किए गए आंशिक भुगतान (बयाना) के रूप में 2 लाख रुपये के लिए दिनांक 19 दिसंबर 2004 को चेक जिसकी संख्या 458943 अस्वीकृत कर दिया गया था और, इसलिए, वादी को भा.दं.सं. की

धारा 420 और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया। यह भी एक तथ्य है कि उक्त कानूनी नोटिस भेजने के बाद प्रतिवादी द्वारा 2 लाख रुपये का चेक भी भुना लिया गया था।

14. वादपत्र के पैरा 22 में वादी ने दावा किया है कि उसके बाद उप-निरीक्षक रोहिणी पुलिस स्टेशन, दिल्ली के समक्ष जाँच के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति व्यक्त की और बताए गए तथ्यों को स्वीकार किया और दिनांकित 19 अक्टूबर 2005 को एक समझौता-सह-करार किया, जिसके तहत यह सहमति हुई कि प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करेंगे, बशर्ते की बिक्री मूल्य में 27,75,000/-रु रुपये के अतिरिक्त 3 लाख रुपये की वृद्धि की जाए। जो कि जो कि मूल विक्रय प्रतिफल था और पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई थी कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में दिसंबर 2005 के अंत तक विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जाएगा।
15. वादी ने दिनांकित 19 अक्टूबर 2005 के उपर्युक्त समझौता-सह-करार के मद्देनजर अक्टूबर 2005 के अंतिम सप्ताह में आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से ऋण के लिए पुनः आवेदन किया और दिनांक 6 नवंबर 2005 को उसके पक्ष में 8,13,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई। हालाँकि, दिनांक 19 अक्टूबर 2005 से

फरवरी 2006 प्रतिवादीगण ने वाद संपत्ति के विक्रय विलेख के निष्पादन और पंजीकरण को फिर से टाल दिया, प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पति के साथ उसके मोबाइल नंबर 9312214189 और प्रतिवादी के मोबाइल नंबर 9810107101 पर एसएमएस के माध्यम से नियमित संपर्क में थी। एसएमएस का विवरण भी वादपत्र के पैरा 24 में दिया गया था।

16. समझौते के निष्पादन के लिए प्रतिवादीगण को दिनांकित 20 फरवरी 2006 को एक पंजीकृत कानूनी नोटिस भेजा गया था, लेकिन प्रतिवादीगण ने समझौते को आगे बढ़ाने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। इस प्रकार वादी ने वाद संपत्ति के संबंध में बेचने के लिए समझौते के विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा दायर किया।

17. इसके बाद प्रतिवादीगण ने कई लोगों पर सि.प्र.सं. की धारा 151 के साथ पठित आदेश 7 नियम 11 के तहत कई आधारों पर वादी के वाद को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया, मुख्य रूप से इस आधार पर कि वाद कानून द्वारा पूरी तरह से वर्जित है क्योंकि समझौते में स्वयं परिनिर्धारित नुकसानी, यदि कोई हो, का प्रावधान है। स्टाम्प-शुल्क का भुगतान न करने तथा आक्षेपित समझौते के पंजीकरण न होने के कारण भी यह वाद गलत था। प्रतिवादी द्वारा एक अन्य आधार यह लिया गया कि वादपत्र में कोई कार्यवाही का

कारण नहीं बनता है, क्योंकि बयाना राशि का भुगतान वादी द्वारा ही रोक दिया गया था तथा उसके बाद आंशिक भुगतान के लिए जारी किए गए चेक का भुगतान भी रोक दिया गया था। इसलिए, पक्षकारों के बीच कोई संविदा संपन्न नहीं हुई और वादी के पक्ष में कोई कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं हुआ। यह भी अभिकथित था कि दूसरा दस्तावेज यानी दिनांकित 19 अक्टूबर 2005 को पुलिस थाने में निष्पादित समझौता-सह-करार दबाव, अनुचित प्रभाव और बाध्यता के तहत किया गया था और वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए प्रार्थना की गई थी।

18. विद्वान एकल न्यायाधीश ने सि.प्र.स. के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रतिवादीगण के आवेदन को स्वीकार करते हुए वादी के वादपत्र को खारिज कर दिया और टिप्पणी कि वादी के वादपत्र में प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है, जिससे दिनांकित 19 दिसंबर, 2004 को हुए विक्रय समझौते के विनिर्दिष्ट पालन की राहत माँगी जा सके, जिसे दिनांकित 19 अक्टूबर 2005 को नवीकृत/संशोधित किया गया था। यह टिप्पणी की गई थी कि "वादपत्र में की गई अभिवाकों और वादी के दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादी को पहले ही बता दिया गया था कि वाद की संपत्ति

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के पास बंधक है। आदेश 6 नियम 6 उपबंधित है और निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

"नि.6. शर्त पूर्ववर्ती - कोई भी शर्त पूर्ववर्ती, जिसके निष्पादन या घटना का विरोध करने का इरादा है, वादी या प्रतिवादी द्वारा उसकी अभिवाकों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा, जैसा भी मामला हो; और, इसके अधीन रहते हुए, वादी या प्रतिवादी के मामले के लिए आवश्यक सभी पूर्व शर्तों के निष्पादन या घटित होने का कथन उसकी अभिवाकों में निहित होगा।"

चूंकि वादी ने शर्त और उसके गैर-पालन की अभिवाक नहीं दी थी, इसलिए यह कार्रवाई के कारण के प्रकटीकरण में विफलता को दर्शाता है। वादी बिक्री लेनदेन को पूरा करने के लिए समझौते के तहत अपने स्वयं के दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा दिखाने में विफल रही थी और यहाँ वादी की ओर से कोई उचित एवं स्वीकार्य दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था।

19. इसके बाद वादी ने दिनांकित 19 जुलाई 2007 के आदेश की समीक्षा/वापस लेने के लिए सि.प्र.सं. की धारा 151 के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 के तहत आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 6 नवम्बर, 2007 के द्वारा खारिज कर दिया गया था।

20. दिनांक 6 नवंबर 2007 को पुनर्विलोकन अर्जी खारिज होने के बाद वादी ने विभिन्न आधारों पर वर्तमान अपील दायर की है।

21. हमने निवेदनों पर विचार किया है और दस्तावेजों सहित अभिलेख में मौजूद सामग्री का भी अध्ययन किया है।
22. यह भी सुस्थापित विधि है कि वादपत्र की अस्वीकृति एक गंभीर मामला है क्योंकि यह वाद के प्रस्तुत मुख्य आधार को ही छीन लेता है जैसे कि यहाँ कोई वाद ही नहीं था और कोई भी वाद किसी भी तरह स्थापित ही नहीं था। या कोई शुरू नहीं किया गया था। वादपत्र में लगाए गए स्पष्ट अभिकथनों और उसके साथ दायर दस्तावेजों को यह निर्धारित करने के लिए जाँचा जाना आवश्यक है कि क्या वादपत्र वाद-हेतुक का प्रकटन करता है। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए दायर वाद में यदि वादपत्र में दिए गए तथ्य यह दर्शाते हैं कि वादी ने संविदा की सभी आवश्यक शर्तों का पालन किया है, तो उसका या उसकी ओर से कानून के शब्दों को सटीक रूप से दोहराने में मात्र विफलता घातक नहीं है। केवल तभी जब संपूर्ण वादपत्र में वाद-हेतुक का कोई कारण प्रकट न हो, वादपत्र अस्वीकृत किए जाने योग्य है।
23. यह भी सुस्थापित विधि है कि लिखित कथन में प्रतिवादीगण द्वारा उठाई अभिवाक उस स्तर पर पूरी तरह से अप्रासंगिक होंगी। वाद में लगाए गए अभियोगों की सत्यता या अन्यथा प्रश्न के विचार-विमर्श के चरण में विचार नहीं किया जाना चाहिए कि क्या वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य

है कि यह कार्रवाई के वाद-हेतुक का प्रकटन नहीं करता है। इस खंड के तहत एक वादपत्र को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भले किसी भी तरह से अभियोग साबित हो जाए, वादी किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा। जब तक वादपत्र में वाद-हेतुक प्रकट किया गया हो या न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने योग्य कोई प्रश्न उठाया गया हो, तब तक केवल यह तथ्य कि मामला कमजोर है और उसके सफल होने की संभावना नहीं है, उसे खारिज करने का आधार नहीं है।

24. *मेयर (एच.के) लिमिटेड बनाम ओन्स और पार्टियों, वेसल एम.वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस (2006 ए.आई.आर. (एस.सी.)1828)*, शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की:

"यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में या वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए दिए गए आवेदन में लगाए गए अभिकथनों के आधार पर वादपत्र को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को सम्पूर्ण वादपत्र को समग्र रूप से पढ़ना होगा ताकि यह पता चल सके कि क्या यह वाद-हेतुक का प्रकटन करता है और यदि करता है, तो न्यायालय द्वारा संहिता के आदेश 7, नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादपत्र को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनिवार्यतः, क्या वादपत्र वाद-हेतुक का प्रकटन करता है, यह वास्तविकता का प्रश्न है, जिसे वादपत्र में किए गए समस्त कथनों के आधार पर एकत्रित किया

जाना चाहिए तथा उन कथनों को सही माना जाना चाहिए। वाद हेतुक तथ्यों का समूह है जिसे अनुतोष प्राप्त करने के लिए तथा उक्त प्रयोजन के लिए सिद्ध करना आवश्यक है ठोस तथ्यों को अभिकथित किया जाना आवश्यक है, लेकिन साक्ष्यों को नहीं, सिवाय कुछ मामलों के जहाँ अभिवाकें गलत बयानी, धोखाधड़ी, जानबूझकर, चूक, अनुचित प्रभाव या उसी प्रकृति के संबंध में आधारित हो। जब तक वादपत्र कुछ वाद-हेतुक का प्रकटन करता है जिसके लिए न्यायालय द्वारा निर्धारण की आवश्यकता है, केवल यह तथ्य कि न्यायाधीश की राय में वादी को सफलता नहीं मिल सकती, वादपत्र को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।”

25. **विजय प्रताप सिंह बनाम दुख हरण नाथ सिंह (ए.आई.आर. 1962**

एस.सी. 941) में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है (ए.आई.आर. पीपी. 943-44, पैरा 9):

"न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे की सफल होने की संभावना है; यह केवल खुद को संतुष्ट करने के लिए है कि याचिका में लगाए गए अभिकथनों, को यदि सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता हैं, तो याचिकाकर्ता को उस राहत का हकदार होगा जिसका वह दावा करता है। यदि उन अभिकथनों को सच मानते हुए कोई मामला नहीं बनता है या राहत नहीं दी जाती है तो कार्रवाई का कोई कारण नहीं दिखाया जाएगा और याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित करने में कि क्या याचिका वाद-हेतुक का प्रकटन है, न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे के गुणागुण को प्रभावित करने वाले मुद्दों के विचारण को शुरू करती है। वह प्रतिवादी द्वारा गुणागुणा के आधार पर उठाए

गए बचावों पर विचार नहीं कर सकता; न ही न्यायालय कानून या तथ्य के संदिग्ध या जटिल प्रश्नों पर विस्तृत जाँच करने में सक्षम है।"

26. **पोपट और कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ**

एसोसिएशन मामले में उच्चतम न्यायालय ने (2005(7) स्केल, पृष्ठ

3 पैरा 10) में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"10. आदेश 7 नियम 7 के खंड (घ) में वाद स्पष्ट करता है, जैसा कि वादपत्र में दिए गए कथन से प्रतीत होता है कि यह किसी भी कानून द्वारा वर्जित है। सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर विचार करते समय विवादित प्रश्नों का निर्णय नहीं किया जा सकता है। आदेश 7 के नियम 11 का खंड (घ) केवल उन मामलों में लागू होता है जहाँ वादी द्वारा वादपत्र में दिया गया कथन, बिना किसी संदेह या विवाद के यह दर्शाता है कि वाद किसी प्रवृत्त कानून द्वारा वर्जित है।"

27. हमने आक्षेपित आदेश, अभिवाकों और दस्तावेजों को ध्यान से देखा

है। वादपत्र और दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांकित 19 दिसंबर, 2004 की रसीद-सह-करार के निष्पादन से इनकार नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने संपत्ति की कुल बिक्री के विचार को भी स्वीकार किया है और बयाना के रूप में 4 लाख रुपये भी प्राप्त किए हैं। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि विचाराधीन संपत्ति आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई थी। और वादी को बैंक से ऋण लेने

की आवश्यकता थी। प्रतिवादी सं. 1 ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि वादी ने दिनांक 26 दिसंबर, 2005 को अर्थात् ऋण की प्राप्ति-सह-करार तथा ऋण की स्वीकृति की तारीख से एक सप्ताह के अंदर किसी अन्य बैंक से ऋण के लिए आवेदन किया था। यह भी एक तथ्य है कि बयाने की आंशिक राशि 2 लाख रुपये थी जो वादी द्वारा प्रतिवादी को चेक के माध्यम से दी गई थी, जिसे बाद में प्रतिवादीगण द्वारा भुना लिया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 13,25,000/- रुपये की राशि के लिए दो भुगतान आदेश (भुगतान आदेश संख्या 664711 दिनांकित 20 जनवरी, 2005) और 5,25,000/- रुपये के लिए एक और भुगतान आदेश तैयार किया, जिसकी कुल राशि 18,50,000/- रुपये है।

प्रतिवादी ने एक अन्य दस्तावेज अर्थात् 19 अक्टूबर, 2005 के समझौता-सह-बिक्री समझौते के निष्पादन पर विवाद नहीं किया है, जो वादी के पति और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच निष्पादित किया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई थी कि वह वादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करेगा, जो कि 3 लाख रुपये के बिक्री प्रतिफल में वृद्धि के अधीन होगा और 27,75,000/- रुपये की राशि से अधिक होगा, जो कि मूल बिक्री

प्रतिफल था। यद्यपि, प्रतिवादी संख्या 1 की यह अभिवाक कि दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 को नवीकृत/संशोधित करार, प्रतिवादी के विरुद्ध पुलिस थाने में वादी द्वारा दायर शिकायत पर अनुचित प्रभाव, बल प्रयोग या दबाव के तहत निष्पादित किया गया था, इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है और विशेष रूप से प्रतिवादी द्वारा सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन में, जब मामले में विवादित प्रश्न शामिल हैं।

28. उपरोक्त तथ्यों और सुस्थापित विधि को ध्यान से देखते हुए, हमें लगता है कि वादपत्र प्रथम दृष्टया वाद-हेतुक का प्रकटन करता है और यहाँ विचारण के मुद्दे जिनके लिए वाद के विचारण की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस स्तर पर न्यायालय मामले के गुणागुण के आधार पर निर्णय नहीं ले रही है और हम वाद-हेतुक का प्रकटन न करने के कारण शिकायत को खारिज करने के विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है और अपील के तहत चुनौती दिए गए आक्षेपित आदेश दिनांकित 19 जुलाई, 2007 को अपास्त किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी का आवेदन सि.प्र.सं. आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया जाता है। अब मामला

सि.वा.(मू.प.) सं. 558/2006 संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक 16 सितम्बर, 2008 को सूचीबद्ध किया जाए।

29. हम यह स्पष्ट करते हैं कि यहाँ की गई किसी भी टिप्पणी को अनंतिम रूप से माना जाएगा और मामले में शामिल मुद्दों पर अंतिम राय बनाने की कोई अभिव्यक्ति नहीं होगी और मामले के परिणाम पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

न्या. मनमोहन सिंह

न्या. ए.के. सीकरी

अगस्त 08, 2008

एसए/एसडी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।